क्रमांक 3874-6 जी0 एस0 -1-76/17089

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

हरियाणा सरकार के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उप उपायुक्त तथा मण्डल, अधिकारी ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 29 जून, 1976 ।

विषयः- विभागीय जांचों के सिलसिले में अधिकारियों/कर्मचारियों को आरोप पत्र देने में विलम्ब ।

महोदय,

सरकार के नोटिस में आया है कि विभागीय जांचों के सम्बन्ध में बहुत केसों में निलम्बित कर्मचारियों/अधिकारियों को चार्जशीट करने में बहुत विलम्ब हुआ है । इससे एक तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को बहुत कठिनाई होती है, दूसरे मामले के अन्तिम निपटान में भी विलम्ब होता है ।

2. ऐसे निलम्बित अधिकारियों/कर्मचारियों को आरोप-पत्र देने में विलम्ब लोक हित में नहीं है । इस-लिये आपसे अनुरोध किया जाता है कि ऐसे मामलों में जहां कार्यवाही के लिये प्रथम-दृष्ट्या केस बनता हो, आरोप-पत्र तत्काल जारी किया जाए । वैसे भी सरकार की हिदायतों के अनुसार निम्बन काल की अवधि कम से कम समय के लिए होनी चाहिए और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह भी आवश्यक हो जाता है कि ऐसे निलम्बित कर्मचारियों को "कारण बताओ नोटिस" इत्यादि परम आग्रता से जारी किया जाए ताकि उनके विरुद्ध कार्यवाही पूरी करने में अनावश्यक देरी न हो ।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि भविष्य में अधिकारियों/कर्गचारियों खास तौर पर निलम्बनाधीन अधिकारियों/कर्मचारियों को आरोप-पत्र देने में देरी न होने दी जाए और प्रथम दृष्ट्या केस होने पर आरोप-पत्र तत्काल दिया जाए ।

भवदीय,

हस्ता/-

उप सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।